भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2117

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

2117. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री कृष्णपालसिंह यादव:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एनएलएम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश में चारे की गुणवत्ता और उत्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और आनुवंशिक रूप से उन्नयन के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान एनएलएम के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी निधि जारी और खर्च की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) वर्ष 2021-22 से लागू किए जा रहे पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य पोल्ट्री, भेड़, बकरी और सुअरपालन में उद्यमिता और नस्ल सुधार पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें आहार एवं चारा विकास, विस्तार और नवाचार तथा पशुधन बीमा भी शामिल है।

(ख) राष्ट्रीय पशुधन मिशन वर्ष 2014 से कार्यान्वयनाधीन है। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना में 50 कार्यकलाप थे जिन पर राज्यों को मांग के आधार पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। इसलिए, पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत कार्यकलाप देशभर में समान रूप से लागू नहीं हो पाए थे। नीति आयोग ने पूर्ववर्ती राष्ट्रीय पशुधन मिशन का मूल्यांकन किया था और उसमें संशोधन का सुझाव दिया था क्योंकि राज्यों द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बहुत कम प्रगति की गई थी। उन्होंने यह भी सलाह दी थी कि योजना को रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, आहार एवं चारा विकास, आनुवंशिक उन्नयन, विस्तार और नवाचार तथा पशुधन बीमा पर केंद्रित और लक्षित होना चाहिए। तदनुसार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन को पुनर्संरेखित किया गया और दिनांक 14.07.2021 को मंत्रिमंडल द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात इसे वर्ष 2021-22 से लागू किया जा रहा है। वर्तमान राष्ट्रीय पशुधन मिशन को भारी मांग और स्वीकार्यता के साथ सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

(ग) पुनर्संरेखित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आहार एवं चारा विकास संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत, चारा फसल को नकद फसल के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिक उत्पादन वाली चारा किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे चारा फसलों के तहत अधिक क्षेत्र में विविधता आती है।

इसके अलावा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत आहार एवं चारा में उद्यमिता संबंधी कार्यकलाप भी चल रहे हैं, जिनमें निजी उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान सहकारी संगठनों (एफपीओ), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), डेयरी सहकारी समितियों, धारा 8 की कंपनियों को हे/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक और चारे के भंडारण जैसे मूल्य वर्धन के लिए लाभार्थियों को 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी (कुल परियोजना लागत को 50 प्रतिशत तक) प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार भी पशु आहार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना सहित पशु आहार विनिर्माण इकाईयों की स्थापना के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2020-21 से केंद्रीय सेक्टर योजना पशुपालन अवसंरचना विकास निधि लागू कर रही है ताकि गुणवत्तापूर्ण आहार का उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर – आईजीएफआरआई) ने संबंधित राज्यों में उनकी फसल पद्धति और पशुधन प्रजातियों के आधार पर आहार एवं चारे की उपलब्धता बढ़ाने हेतु 25 राज्यों के लिए चारा विकास योजना तैयार की है।

(घ) पशुपालन और डेयरी विभाग देसी बोवाईन नस्लों के विकास और सरंक्षण के लिए दिसंबर, 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) लागू कर रहा है। योजना दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बोवाईनों के दूध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने और डेयरी को देश के ग्रामीण

किसानों के लिए और अधिक लाभकारी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत, पशुधन और कुक्कुट का नस्ल सुधार संबंधी उप-मिशन लागू किया जा रहा है। इस उप-मिशन के तहत निजी प्रजनक फार्म की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामीण कुक्कुट, जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और सुअर पालन में नस्ल विकास के लिए उद्यमियों की स्थापना नामक कार्यकलाप लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, आनुवंशिक सुधार संबंधी कार्यकलाप के तहत, देसी नस्लों को सुधारने के लिए उत्कृष्ट देसी जर्मप्लाज्म के साथ-साथ उच्च आनुवंशिक गुणता वाले जर्मप्लाज्म के प्रसार के लिए हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऊपर उल्लिखित ये सभी कार्यकलाप देसी के साथ-साथ उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं के सरंक्षण और सुधार के प्रति केंद्रित हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष 2022-23 के दौरान, 09.03.2023 तक एनएलएम के तहत व्यय की गई राशि इस प्रकार है:

वर्ष	**बजटीय अनुमान (करोड़ रु.)**	**संशोधित अनुमान (करोड़ रु.)**	**वास्तविक व्यय (करोड़ रु.)**
2019-20	480.00	405.39	403.00
2020-21	370.00	425.00	424.83
2021-22	350.00	288.00	283.98
2022-23	410.00	350.00	146.62 (09.03.2023 तक)

******